DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

5 August, 2024

गहरे समुद्र में खनन (Deep-sea Mining)

संदर्भ: *अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (ISA) समुद्र की सतह से कच्चे माल के निष्कर्षण के लिए नियम तैयार कर रहा है।*

- परीक्षण समुद्र की खनन गतिविधि तब तक नहीं चल सकती जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (ISA) से नियम नहीं मिल जाते।
- इन नियमों पर चर्चा वर्षों से चल रही है।
- नवीनतम वार्ताओं में विशेष रूप से जल के नीचे निगरानी और पर्यावरणीय संरक्षण पर महत्वपूर्ण मतभेद सामने आ रहे हैं।
- जर्मनी, ब्राजील और पलाऊ नए नियमों पर सहमत होने से पहले एक पूरी पर्यावरणीय प्रभाव जांच की मांग कर रहे हैं।
- चीन, नॉर्वे, जापान और नौरू जल्दी समझौते की ओर बढ़ने के लिए दबाव बना रहे हैं ताकि खनन संचालन शुरू हो सके।
- ISA के 169 सदस्य देशों में से 32 अब गहरे समुद्र के खनन को निलंबित या प्रतिबंधित करने के पक्ष में हैं, जिसे पर्यावरणीय संगठनों और समुद्री वैज्ञानिकों का समर्थन प्राप्त है।

➢ गहरे समुद्र में खनन क्या है?

- गहरे समुद्र में खनन में समुद्र की सतह से खनिज जमाव और धातुओं को निकालना शामिल है।
- गहरे समुद्र में खनन के तीन प्रकार हैं -समुद्र तल से निक्षेप-समृद्ध पॉलीमेटेलिक पिंडों को निकालना, समुद्र तल से विशाल सल्फाइड निक्षेपों का खनन करना, तथा चट्टानों से कोबाल्ट परत को हटाना शामिल है।
- इन पिंडों, निक्षेपों और परतों में निकेल, दुर्लभ मृदा और कोबाल्ट जैसे पदार्थ होते हैं, जो बैटरी, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और सेलफोन और कंप्यूटर जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए आवश्यक होते हैं।
- तटीय भंडारों के समाप्त होने और इन सामग्रियों की बढ़ती मांग के कारण कंपनियां और सरकारें इन संसाधनों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानती हैं।

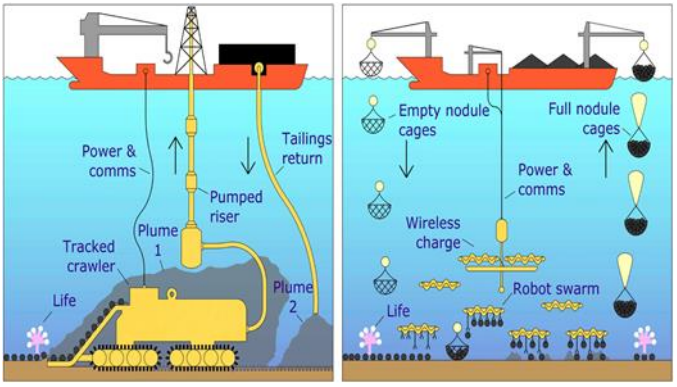

➢ गहरे समुद्र में खनन का विनियमन कैसे किया जाता है?

- देश अपने समुद्री क्षेत्रों और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का प्रबंधन स्वयं करते हैं, जबकि उच्च समुद्र और अंतर्राष्ट्रीय महासागर तल का प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) द्वारा किया जाता है।
- UNCLOS संधि के तहत, समुद्र तल और उसके खनिज संसाधनों को "मानव जाति की साझा विरासत" माना जाता है, जिसका प्रबंधन मानव हितों की रक्षा, आर्थिक लाभों को साझा करने, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करने और समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए।

➢ अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण (आईएसए) क्या है?

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण (आईएसए) संयुक्त राष्ट्र की साझा प्रणाली के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, जिसका मुख्यालय किंग्स्टन, जमैका में स्थित है।
- 1982 के यूएनसीएलओएस के सभी पक्षकार देश आईएसए के सदस्य हैं, जिसमें यूरोपीय संघ सहित 168 सदस्य हैं।
- आईएसए यूएनसीएलओएस द्वारा स्थापित तीन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में से एक है, अन्य दो संस्थाएं हैं - महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं पर आयोग और समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है।
- आईएसए का प्राथमिक कार्य 'क्षेत्र' में पाए जाने वाले गहरे समुद्र तल के खनिजों के अन्वेषण और दोहन को विनियमित करना है, जिसे कन्वेंशन द्वारा राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से परे, विशेष रूप से महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमाओं से परे, समुद्र तल और अवभूमि के रूप में परिभाषित किया गया है।
- 'यह क्षेत्र' पृथ्वी के सम्पूर्ण समुद्री क्षेत्र का लगभग 50% है।

अनुच्छेद 311

संदर्भ *: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर पांच पुलिसकर्मियों सहित छह सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 311 का इस्तेमाल किया।*

➢ प्रावधान :

- यह अनुच्छेद संघ या राज्य के अधीन सिविल क्षमता में नियोजित किसी व्यक्ति की बर्खास्तगी, हटाने या पद में कमी से संबंधित है।
- अनुच्छेद 311(1): कोई व्यक्ति, जो संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसे उस प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा जो उसकी नियुक्ति के अधीनस्थ है।
- अनुच्छेद 311 (2): किसी भी सिविल सेवक को बर्खास्त या हटाया या पद में कमी नहीं की जाएगी, सिवाय जांच के, जिसमें उन्हें आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।

➢ प्रसादपर्यंत का सिद्धांत

- **अनुच्छेद 310:**
  - रक्षा सेवाओं, केन्द्र की सिविल सेवाओं तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य अथवा केन्द्र के अधीन सैन्य पद या सिविल पद धारण करने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं।
  - - 'सिविल पद' का अर्थ प्रशासन के सिविल पद में नियुक्ति, कार्यालय या रोजगार है, जो सैन्य पक्ष से अलग है।
  - - किसी राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्य या राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाले व्यक्ति, राज्य के राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं।
- **अपवाद** :
  - राष्ट्रपति या राज्यपाल विशेष योग्यता वाले किसी व्यक्ति की सेवाओं के लिए मुआवजा प्रदान कर सकते हैं यदि संविदा अवधि समाप्त होने से पहले पद समाप्त कर दिया जाता है, या यदि उन्हें कदाचार से संबंधित न होने वाले कारणों से पद खाली करने की आवश्यकता होती है।
  - ऐसा अनुबंध केवल नए प्रवेशकर्ता के साथ ही किया जा सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जो पहले से ही रक्षा सेवा, केंद्र की सिविल सेवा, अखिल भारतीय सेवा या किसी राज्य की सिविल सेवा में हो।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

5 August, 2024

सुनवाई का अवसर

- **मूल प्रावधान:**
  - सिविल सेवकों को जांच और सजा दोनों चरणों में सुनवाई का अवसर दिया गया है।
- **42वां संशोधन अधिनियम 1976:**
  - जांच के बाद प्रस्तावित सजा के खिलाफ अभ्यावेदन देने के लिए दूसरा अवसर देने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
- **सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या:**
- **सुनवाई के लिए उचित अवसर में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - आरोपों की जानकारी के आधार पर दोष से इंकार करना और निर्दोषता साबित करना।
  - गवाहों की प्रत्यक्ष परीक्षा करके और अपने गवाह पेश करके आत्म-रक्षा करना।
  - जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करना और टिप्पणियों के लिए अवलोकन करना।

अनुच्छेद 311 के अंतर्गत संरक्षण

- संघ की सिविल सेवा के सदस्य।
- अखिल भारतीय सेवा के सदस्य।
- किसी भी राज्य की सिविल सेवा के सदस्य।
- संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाले व्यक्ति।
- अनुच्छेद 311 के सुरक्षा उपाय केवल सिविल सेवकों (सार्वजनिक अधिकारियों) पर लागू होते हैं, रक्षा कर्मियों पर नहीं।

सिविल सेवाओं में विभागीय जांच की प्रक्रिया

- इसके अंतर्गत जांच अधिकारी नियुक्त होने के बाद सिविल सेवक को औपचारिक आरोप पत्र दिया जाता है।
- सिविल सेवक वकील रखने या स्वयं प्रतिनिधित्व करने का विकल्प चुन सकता है।
- जांच के दौरान गवाहों को बुलाया जा सकता है, जिसके बाद जांच अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई के लिए सरकार को सौंपता है।
- बर्खास्त कर्मचारी केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण या अदालतों जैसे न्यायाधिकरणों में जा सकते हैं।

आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता

संदर्भ: *आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति और संबंधित बैठकें इंडोनेशिया के जकार्ता स्थित आसियान सचिवालय में हुईं।*

- आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA) दस आसियान सदस्य देशों और भारत के बीच एक व्यापार समझौता है।
- वर्ष 2009 में बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित 7वें आसियान आर्थिक मंत्रियों-भारत परामर्श के दौरान इसका अनुसमर्थन किया गया तथा यह 2010 में प्रभावी हुआ।
- AITIGA को आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते के रूप में भी जाना जाता है और यह मूर्त वस्तुओं और व्यापारिक वस्तुओं के व्यापार पर केंद्रित है।
- इसका मुख्य उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना या समाप्त करना है।

AITIGA की मुख्य विशेषताएं

- इसमें सेवाओं को छोड़कर भौतिक वस्तुओं का आदान-प्रदान शामिल है, तथा यह विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक है, जिसमें लगभग 1.8 बिलियन व्यक्ति शामिल हैं।
- इस समझौते में आसियान और भारत को वस्तुओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर धीरे-धीरे शुल्क समाप्त करने और टैरिफ को उदार बनाने का निर्देश दिया गया है।
- इसमें आसियान सदस्य देशों के आर्थिक विकास चरणों के आधार पर अलग-अलग टैरिफ दरें शामिल की गई हैं।
- AITIGA में संवेदनशील उत्पादों पर टैरिफ कम करने और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने के लिए पारदर्शी, पूर्वानुमानित व्यापार प्रथाओं को लागू करने के प्रावधान शामिल हैं।
- समझौते का लक्ष्य व्यापार दक्षता को बढ़ाना, व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करना और आसियान और भारत के बीच व्यापार असंतुलन को दूर करना है।

AITIGA (आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौता) के तत्व

- **वस्तुओं के व्यापार पर समझौता:** यह 1 जनवरी, 2010 से प्रभावी हुआ, इसका उद्देश्य आसियान सदस्य देशों और भारत के बीच विनिमय किये जाने वाले 76.4% वस्तुओं पर टैरिफ को धीरे-धीरे कम करना और समाप्त करना है।
- **सेवाओं में व्यापार समझौता:** नवंबर 2014 में स्थापित, इसमें पारदर्शिता, घरेलू विनियमन, मान्यता, बाजार पहुंच, राष्ट्रीय उपचार और विवाद समाधान पर धाराएं शामिल हैं।
- **निवेश समझौता:** नवंबर 2014 में इसकी पुष्टि की गई, यह निवेशकों के लिए समान और निष्पक्ष उपचार सुनिश्चित करती है, हदबंदियों या राष्ट्रीयकरण के मामलों में गैर-प्राथमिक उपचार (non-preferential treatment) प्रदान करती है, और उचित मुआवजा देती है।

व्यापार सांख्यिकी:

- भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 122.67 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।
- भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान का हिस्सा 11% है।
- आसियान को निर्यात वित्त वर्ष 2019 में 37.47 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 41.21 बिलियन डॉलर हो गया, जिसमें 9.96% की वृद्धि है।
- आसियान से आयात 34.30% बढ़कर 59.32 बिलियन डॉलर से 79.67 बिलियन डॉलर हो गया।

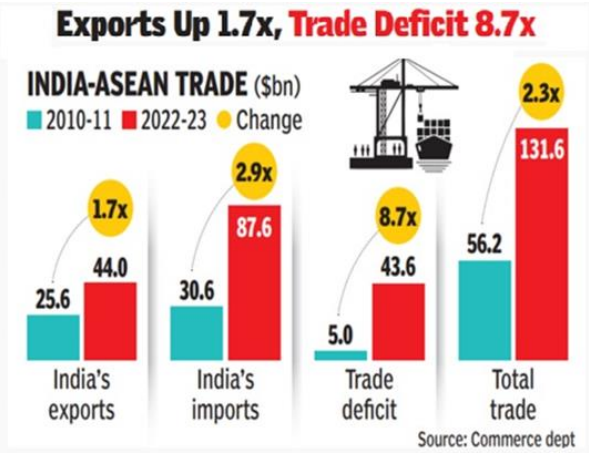

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

5 August, 2024

NEWS IN BETWEEN THE LINES

स्मारक डाक टिकट

हाल ही में, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह पेरिस 2024 ओलंपिक का जश्न मनाने के लिए स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी करेगी।

स्मारक डाक टिकटों के बारे में:

- स्मारक डाक टिकट नियमित डाक टिकट होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के लोगों, घटनाओं या गतिविधियों के सम्मान में जारी किए जाते हैं।
- अन्य डाक टिकटों के विपरीत, स्मारक टिकट केवल एक बार मुद्रित होते हैं और उनकी आपूर्ति समाप्त होने पर प्रचलन से बाहर हो जाते हैं।
- भारत में, स्मारक टिकट द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों, राजनेताओं, खेल, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा, कला और शिल्प, पर्यावरण संबंधी मुद्दों और कृषि गतिविधियों जैसे विषयों का सम्मान किया जाता हैं।
- स्मारक टिकट सीमित मात्रा में छापे जाते हैं और केवल फिलाटेलिक ब्यूरो और काउंटरों पर या फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट योजना के माध्यम से उपलब्ध होते हैं।
- भारत के नागरिक स्मारक टिकटों के लिए प्रस्ताव फिलाटेलिक एडवाइजरी कमेटी (PAC) या PAC के उप समिति को भारत पोस्ट की वेबसाइट पर कम से कम दो साल पहले प्रस्तुत कर सकते हैं।

दामोदर घाटी निगम

आर्यभट्टहाल ही में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने झारखंड में दामोदर घाटी निगम (DVC) के बांधों से अत्यधिक जल प्रवाह पर अपने समकक्ष हेमंत सोरेन के साथ चर्चा की, जिससे दक्षिण बंगाल में बाढ़ आ रही है।

दामोदर घाटी निगम के बारे में:

- दामोदर घाटी निगम (DVC) भारत की एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में कार्यरत है।
- इसे 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत के पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- यह दामोदर नदी के जल प्रबंधन और बाढ़ को कम करने के लिए चार बहुउद्देशीय बांधों का निर्माण कर चुका है: - तिलैया बांध (1953, बराकर नदी), कोनार बांध (1955, कोनार नदी), मयठन बांध (1957, बराकर नदी) और पंचेत बांध (1959, डैमोडर नदी)।
- इसका मुख्यालय कोलकाता में है।

सिरेमिक मिट्टी के बर्तन

हाल ही में, पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी और तमिलनाडु के कीझाडी में सिरेमिक मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ खोजी हैं।

सिरेमिक मिट्टी के बर्तनों के बारे में:

- सिरेमिक मिट्टी के बर्तन सिरेमिक का एक प्रकार है, जो गैर-धातु और अकार्बनिक पदार्थों से बनी वस्तुओं के लिए प्रयोग एक व्यापक शब्द है।
- सिरेमिक मिट्टी के बर्तन मिट्टी से बनाए जाते हैं, जो एक प्राकृतिक सामग्री है तथा नरम और लचीली होती है, लेकिन उच्च तापमान पर पकने पर सख्त हो जाती है।
- सिरेमिक मिट्टी के बर्तनों के तीन मुख्य प्रकार हैं जिनमें मिट्टी के बर्तन, पत्थर के बर्तन और चीनी मिट्टी के बरतन शामिल हैं, और प्रत्येक प्रकार के अलग-अलग गुण हैं।
- उन्नत सिरेमिक में उनके स्थायित्व और विशिष्ट विशेषताओं को बढ़ाने के लिए ऑक्साइड, नाइट्राइड या कार्बाइड जैसे यौगिक भी शामिल हो सकते हैं।
- सिरेमिक के आधुनिक अनुप्रयोगों में अंतरिक्ष शटल, माइक्रोवेव भट्टियों, अपघर्षक और अर्धचालक उत्पादन, परमाणु ईंधन, लड़ाकू विमान की खिड़कियों और टोमोग्राफ़िक स्कैनर के लिए हीट शील्ड में उपयोग शामिल है।
- कुछ सिरेमिक सामग्रियों में उच्च तापमान अतिचालकता की खोज ने दो वैज्ञानिकों को 1987 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार दिलाया।

ग्रेट फोर-रिंग तितली

हाल ही में, एक नए अध्ययन से पता चला है कि चीन में सबसे अधिक सदस्यों वाले परिवार से संबंधित फोर-रिंग वाली तितली 61 साल बाद भारत में फिर से दिखाई दी है।

ग्रेट फोर-रिंग तितली के बारे में:

- ग्रेट फोर-रिंग तितली (यप्थिमा कैंटली) सैटिरिने तितली की एक प्रजाति है जिसके पंख गहरे भूरे रंग के होते हैं।
- यह एक कम ऊंचाई वाली तितली है जो घास को अपने मेजबान पौधे के रूप में पसंद करती है।
- इसमें काले और पीले रंग के धब्बे होते हैं जिनका उपयोग शिकारियों को भ्रमित करने के लिए किया जाता है।
- इसके पिछले पंख पर तीन पीले-छल्ले वाले एकल आँख के धब्बे (ओसेली) होते हैं और इसके अगले पंख पर एक बड़ा द्वि-पुतली वाला शीर्षस्थ ओसेलस होता है जो अस्पष्ट रूप से पीले रंग से घिरा होता है।
- यह तितली यप्थिमा वंश की अन्य प्रजातियों की तुलना में बड़ी होती है और इसके पंखों का विस्तार 34-40 मिमी होता है।
- यह भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार में पाया जाता है, जिसमें चीन में सबसे अधिक विविधता है।
- यप्थिमा की सबसे अधिक विविधता चीन में है, विशेष रूप से युन्नान और सिचुआन में।
- यह वर्तमान में IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

ग्लेशियर डू टूर

हाल ही में, यह देखा गया है कि ग्लेशियर डू टूर जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पिघल रहा है, इसकी बर्फ सहारा की धूल की वजह से गुलाबी हो गई है और अगर मौजूदा परिस्थितियाँ बनी रहीं तो 2100 तक इसके गायब होने की उम्मीद है।

ग्लेशियर डू टूर के बारे में:

- ग्लेशियर डू टूर आल्प्स के फ्रांसीसी भाग में स्थित है, विशेष रूप से माउन्ट ब्लांक मासिफ में, जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है।
- यह आर्वे नदी में मिलने वाले ग्लेशियरों में से एक है, जो रोन नदी की एक सहायक नदी है।
- यह पैदल यात्रियों और पर्वतारोहियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है।
- यह हिमनद गतिशीलता और अल्पाइन ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में कार्य करता है।

सुर्खियों में स्थल

तिमोर-लेस्ते

आर्यभट्टराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर-लेस्ते की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई है।

राजधानी: दिली

स्थान: तिमोर लेस्ते या पूर्वी तिमोर एक द्वीप देश है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित है।

सीमाएँ: तिमोर लेस्ते की सीमा तिमोर सागर (दक्षिण-पूर्व), वेटार जलडमरूमध्य (उत्तर), ओमबाई जलडमरूमध्य (उत्तर-पश्चिम) और पश्चिमी तिमोर (इंडोनेशियाई प्रांत पूर्वी नुसा तेंगारा का हिस्सा) से दक्षिण-पश्चिम में है।

महत्व:

- माउंट टाटामैलाऊ, जिसे माउंट रामेलाऊ के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वी तिमोर का सबसे ऊँचा पर्वत है
- टेटम और पुर्तगाली आधिकारिक भाषाएँ हैं, जबकि इंडोनेशियाई और अंग्रेजी भी व्यापक रूप से बोली जाती हैं।
- तिमोर-लेस्ते ने 20 मई, 2002 को इंडोनेशिया से आजादी हासिल की, जो लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद दुनिया का चौथा सबसे युवा देश बना।

POINTS TO PONDER

- वर्ष 2024 में यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? – **39वां**
- हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनीं है? – **लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर**
- किस मंत्रालय ने हाल ही में समाचारों में उल्लिखित रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (DTIS) शुरू की? – **रक्षा मंत्रालय**
- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (UN ECOSOC) द्वारा किस संस्थान को विशेष परामर्शदात्री दर्जा प्रदान किया गया? – **KIIT DU**
- हाल ही में राज्यपालों का 52वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? – **नई दिल्ली**